e-mail:fdbnp.umr@mp.gov.in, Phone/Fax: 07653-222214

कार्यालय क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व, उमरिया (मध्य प्रदेश)

क्रमांक / मा.चि. / 3293 उमरिया, दिनांक 26/7/2021

प्रति,

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई,
शहडोल (म.प्र.)

विषयः– उमरिया जिले के अंतर्गत बल्हौड़ ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वनभूमि पर पाइप लाइन को बिछाने की अनुमति बावत्।

संदर्भः–
1. आपका क्रमांक / 230 / महा.प्रबं. / म.प्र.ज.नि.मर्या. / परि.क्रि.ई. / 2021 दिनांक 30 / 01 / 2021.
2. उपवनमण्डलाधिकारी, मानपुर का पत्र क्रमांक / 216 दिनांक 22 / 02 / 2021 एवं परिक्षेत्र अधिकारी, पनपथा बफर का पत्र क्रमांक / 235 दिनांक 28 / 02 / 2021.
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र., भोपाल का पत्र क्र. / एफ–5 / 1023 / 2021 / 10–11 / 1673 दिनांक 31 / 05 / 2021 एवं 2316 दिनांक 13 / 07 / 2021.

☆☆☆

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक–2 से उपवनमण्डलाधिकारी, मानपुर / परिक्षेत्र अधिकारी, पनपथा बफर द्वारा म.प्र. जल निगम मर्यादित (म.प्र. शासन का उपक्रम) द्वारा परिक्षेत्र मानपुर एवं पनपथा बफर अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक PF-389, PF-393, PF-394, PF-395, PF-392, PF-396, PF-396, PF-393, PF-643, PF-643, PF-648, PF-192, PF191 में "राइट ऑफ वे" (RoW) में रकवा 0.571 हे. क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त प्रस्ताव का संयुक्त स्थल निरीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	लंबाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	पाइप लाइन बिछाई कार्य	मानपुर बफर	संरक्षित वनखण्ड देवरी	PF-389	942	0.40	0.0.037
				PF-393	4700	0.40	0.188
				PF-394			
				PF-395			
				PF-392			
				PF-396	300	0.40	0.012
				PF-396	626	0.40	0.025
				PF-393	981	0.40	0.039
2		मानपुर बफर	संरक्षित वनखण्ड चरणगंगा	PF-643	1600	0.40	0.064
				PF-643	640	0.40	0.025
				PF-648	1800	0.40	0.072
3		पनपथा बफर	संरक्षित वनखण्ड खुसरिया	PF-192	1960	0.40	0.078
				PF191	740	0.40	0.029
	योग–				14289	–	0.571

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ / 5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 18 / 11 / 2004, क्रमांक / एफ / 5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 04 / 12 / 2005, क्रमांक / एफ / 5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 01 / 06 / 2009 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) म.प्र., भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ--5 / 1023 / 2021 / 10–11 / 2316 दिनांक 13 / 07 / 2021, 1673 दिनांक

31/05/2021 के पालन में निम्नलिखित शर्तों के अधीन वन भूमि वन व्यपवर्तन हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।

1. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के क्षेत्र में स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
2. वनभूमि व्यवपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे ''राइट ऑफ वे'' के तहत दी जा रही है। ''राइट ऑफ वे'' से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
3. अगर प्रस्ताव 1.000 हे. क्षेत्र से अधिक के हैं और उनमें वृक्ष की कटाई सम्मिलित है तो प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) को भेजे जावेंगे। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
4. प्रस्ताव अगर 1.000 हे. से कम है और वृक्ष कटाई सम्मिलित है तो काटे जाने वाले वृक्षों के 10 गुने वृक्षों के रोपण की शर्त अधिरोपित करते हुए स्वीकृति जारी की जावेगी। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
5. वनभूमि पर भूमिगत पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
6. आवेदक संस्था को स्वीकृति जारी करने के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम 2003 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
7. राज्य शासन के आदेश क्रमांक–935/10/3/2000 दिनांक 22/02/2000 से वन भूमि व्यवपवर्तन के प्रकरण में निर्धारित पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क वसूल की जावेगी। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
8. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
9. रखरखाव की अनुमति वनमण्डलाधिकारी/उप संचालक द्वारा दी जावेगी। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
10. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
11. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन नहीं किया जावेगा। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
12. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जावेगा। वचन पत्र प्रस्तुत करें।
13. आवेदन/आवेदक संस्थान से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 30/10/2002 एवं यथा संशोधित म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के आदेश दिनांक 12/09/2008 अनुसार निर्धारित वनों की ईको वैल्यू एवं घनत्व अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि देय होगी, के पालन में रू. 9.20 लाख की प्रति हेक्टेयर की दर से नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि वसूल की जानी है। अगर भविष्य में राज्य शासन द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की इस दर में कमी की जाती है तो आवेदक/आवेदक संस्थान को अवशेष राशि वापसी योग्य होगी। वचन पत्र प्रस्तुत करें।

14. यदि आवेदक संस्था या उनके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमण्डलाधिकारी/उप संचालक द्वारा निर्धारित राशि, आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी। वचन पत्र प्रस्तुत करें।

15. आवेदक/आवेदक संस्थान से लिखित में वचन पत्र लिया जायेगा कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. क्षेत्रीय वन संरक्षक, क्षेत्र संचालक, एवं उप संचालक द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो उन्हें यह सभी शर्त मान्य होगी। वचन पत्र प्रस्तुत करें।

16. आवेदक/आवेदक संस्थान से यदि प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि ली जाना है तो उसे अग्रिम में जमा कराने के उपरांत ही औपचारिक अनुमति कार्य करने हेतु प्रदान की जावेगी। इस औपचारिक अनुमति के जारी होने के पूर्व कार्य नहीं करने दिया जावेगा। वचन पत्र प्रस्तुत करें।

17. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। वचन पत्र प्रस्तुत करें।

18. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./4506 दिनांक 04/08/2020 एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक F.No. 5-2/2017-FC दिनांक 24 जुलाई 2020 के निर्देशानुसार आवेदित क्षेत्र ईको सेंसिटिव जोन होने के कारण वन्यप्राणी स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है तत्पश्चात ही कार्य की औपचारिक स्वीकृति जारी की जावेगी बगैर औपचारिक स्वीकृति कार्य प्रारंभ किये जाने पर अनुमति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी एवं नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। वचन पत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन/वचन पत्र प्राप्त होने के बाद औपचारिक स्वीकृति पृथक से प्रदान की जावेगी। इसके पूर्व वनभूमि में किसी प्रकार का कोई कार्य न किया जावे।

26.7.21

लवित भारती
(भा.व.से.)
उप संचालक
बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व
उमरिया (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/मा.चि./3291 उमरिया, दिनांक 26/7/2021

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र., भोपाल की ओर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र., भोपाल के संदर्भित पत्र से जारी निर्देश के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र., भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र से जारी निर्देश के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व, उमरिया की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उपवनमण्डलाधिकारी, मानपुर/पनपथा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. परिक्षेत्र अधिकारी, मानपुर/पनपथा बफर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप संचालक
बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व
उमरिया (म.प्र.)